

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 08.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, जाखड़ों की ढाणी पर पत्रावली पेश हो।

(नेधिन्द्र-दीपिकारी,  
उपखण्ड-बाड़मेर)

08.10.2021

पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण कर्म संख्या 01 से 03 उपस्थित शेष कर्म संख्या 04 से 39 तक अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 272/89 रकबा 36.85 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 275/154 रकबा 48.08 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 84.13 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 272/89 रकबा 36.85 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 275/154 रकबा 48.08 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 84.13 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बावत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

(उपखण्ड-आधिकारी,  
उपखण्ड-बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर  
 नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढाणी

प्रार्थीगण  
 1 पुरखाराम पुत्र तिलोकाराम जाति  
 प्रजापत निवासी फूसाणियों का तला  
 जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला  
 बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1 रामाराम 2 जोगाराम पिसरान रतनाराम 3  
 श्रीमती माहुदेवी पत्नी रतनाराम जाति प्रजापत  
 4 जयराम 5 मोमाराम पिसरान चिमाराम 6  
 किरानलाल 7 देवराज पिसरान मालाराम 8  
 श्रीमती पैम्पोदेवी पत्नी मालाराम 9 दूदाराम 10  
 जोगाराम पिसरान नानगाराम 11 श्रीमती चतरू  
 देवी पत्नी नानगाराम 12 घुनाराम पुत्र खेताराम  
 13 श्रीमती गवरी पत्नी खेताराम 14 पदमाराम  
 15 मूलाराम पिसरान गोमाराम जातियान जाट  
 निवासीयान फूसाणियों का तला 16 मांगीलाल  
 17 अशोक कुमार 18 मोटाराम पिसरान खेताराम  
 19 मंवर 20 दमा पिसरान केशा 21 सांगाराम  
 22 पूनमाराम पिसरान गंगाराम 23 श्रीमती लाछी  
 देवी पत्नी गंगाराम 24 श्रीमती सुन्दर पत्नी  
 लालाराम 25 आईदान 26 खेता 27 लिछमणा  
 पिसरान पतु जातियान प्रजापत निवासीयान  
 फूसाणियों का तला 28 हनुमानराम 29 जेठाराम  
 30 मेहराराम पिसरान किस्तुराराम 31 श्रीमती  
 पैम्पोदेवी पत्नी किस्तुराराम 32 रुमाराम पुत्र  
 खेताराम जातियान जाट निवासी फूसाणियों का  
 तला 33 ग्राम पंचायत जाखड़ों की ढाणी 34  
 रुमाराम 35 राजूराम 36 खूमाराम 37 गुमनाराम  
 38 पेमाराम पिसरान मूराराम 39 श्रीमती रतनी  
 पत्नी मूराराम जातियान जाट निवासीयान  
 जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्  
 राजस्व आवेदन संख्या-137/2021 दिनांक-06.10.2021

आदेश

उपयुक्त, प्रकरण मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं  
 जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 272/89 रकबा 36.05 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर  
 275/154 रकबा 48.08 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 84.13 बीघा के चारो तरफ पक्के  
 नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया  
 जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित  
 करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथरगदी नही  
 करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की  
 उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रुपये  
 मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मोके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)  
 बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 5045-5040  
 प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

दिनांक- 08/10/2021

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को भय रेकार्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी पुरखाराम पुत्र तिलोकाराम जाति प्रजापत निवासी फूसाणियों का तला जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रामाराम पुत्र रतनाराम वगैरह जातियान प्रजापत एवं जाट निवासीयान फूसाणियों का तला जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)  
 बाड़मेर